न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/15/2022

वउनवान

1. पोथी पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर
2. रघवीर पुत्र रतनसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर।

सायल

बनाम

1. हरदम पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर
2. शेरसिंह पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री भीमसिह राणा एडवोकेट– अधिवक्ता सायलान

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता गैरसायलान

आदेश दिनांक 09.10.2023

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से [illegible] आराजी खसरा नम्बर 227 रकवा 0.76 हे. ग्राम रेला तहसील कठूमर [illegible] स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की शामिलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी मे तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 8 का 1/2 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 9 ला0 11 का 1/2 हिस्सा है। सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का अपनी अपनी सुविधानुसार कमती वढती सहमति से काफी अर्सा पहले से पूर्व पश्चिम डौल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर) राज0

डालकर घरेलु वंटवारा कर रखा है जिस घरेलु वंटवारा के अनुसार तरफ उत्तर का हिस्सा सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 8 के व तरफ दक्षिण का आधा हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 ला0 11 के हक हिस्सा व कब्जे में आया हुआ। इसी अनुसार सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। जिस घरू वंटवारा वावत सायलान एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य किसी तरह का विवाद नहीं है। विवादित आराजी के तरफ उत्तर में गैरसायलान की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 187 है जिस पर गैरसायलान काविज रहकर काश्त करते है तथा मकान बनाकर रहवास कर रहे है। विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो विवादित आराजी में सायलान के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा करते है झगडा करते है विवादित आराजी में करीब 10 फुट अन्दर घुस कर गैरसायलान सायलान की वुवी सरसों की फसल को नश्ट कर नींव खोद कर पुख्ता निर्माण करने की कोशिश में है। दि0 16.1.2022 को गैरसायलान विवादित आराजी में 10 फुट अन्दर वुवी फसल में घुस कर व फसल को नश्ट करते हुये पुख्ता निर्माण करने के लिये नींव खोदने लग गये। सायलान ने गैरसायलान से मना किया तो गैरसायलान ने जवरन विवादित आराजी की 10 फुट जमीन दवाकर पुख्ता निर्माण करने व फसल नष्ट करने की धमकी दी गैरसायलान मना करने से नहीं माने जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा[illegible]ढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में सम[illegible] नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता[illegible]ला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Rindel
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव कियागया।

गैरसायलानने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायान सीधे साधे व्यक्ति है। जवकि सायलान मुकदमा बाज व्यक्ति है। गैरसायलान सायलान के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पैदा नहीं कर रहे है और ना गैरसायलान विवादित आराजी की मौके की स्थिति को तब्दील करना चाहते है। गैरसायलान विवादित आराजी में घुस कर किसी तरह का निर्माण नहीं कर रहे है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 227 पर किसी तरह का निर्माण होना नही बताया है। हमने पटवारी हल्का के पाबन्द करने पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया है। हम सायलान को किसी तरह से परेशान नहीं कर रहे है। हम हमारी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 187 पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं हो रही है। सायलान ने प्रार्थना पत्र हम गैरसायलान को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायलानने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076वाके ग्राम रेला व नक्शा ट्रेसकी छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि गैरसायलान जवरन विवादित ओर [illegible] के तरफ उत्तर की 10 फुट जमीन को दवाकर पुख्ता निर्माण करना चाहते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बल्कि विवादित आराजी सायलान एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

गैरसायलान की शामलात खातेदारी की आराजी है गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी से हमारा किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना हम विवादित आराजी की 10 फुट जमीन दवाकर निर्माण कर रहे है यह पटवारी हल्का की मौका पर्चा से सावित है। ना तो हम किसी तरह का निर्माण कर रहे है और ना सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर रहे है सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन सावित नहीं है। सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध महज तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।अधिवक्ता गैरसायलान ने अपने कथनों की पुश्टि में मौका पर्चा दिनांक 20.01.2022 की छाया प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये सायलान को निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष मे सावित कराना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस पेश किये है। जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि आराजी खसरा नम्बर 227 सायलान एव तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिस आराजी से गैरसायलान का बास्ता नहीं है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह सावित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

कि विवादित आराजी के तरफ उत्तर में गैरसायलान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 187 वाके ग्राम रेला स्थित है। चूंकि गैरसायलान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 187 विवादित आराजी के तरफ उत्तर को संटवा स्थित है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्वर 187 पर गैरसायलान द्वारा निर्माण कार्य करना कथन किया है लेकिन अप्रार्थीयान ने निर्माण कार्य करने से इन्कार नहीं किया है। जव गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 187 में विवादित आराजी के संटवा निर्माण कार्य कर रहे है तो गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी की भूमि को दवाकर निर्माण करने से इन्कार नही किया जा सकता। यदि गैरसायलान अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 187 की आड में विवादित आराजी की जमीन को दवाकर निर्माण कर लेते है तो प्रथम दृष्टाया ही सायलान को क्षति व नुकसान व असुविधा होना संभव है। विवादित आराजी सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यदि गैरसायलान विवादित आराजी की जमीन को दवाकर निर्माण कर लेते है तो इससे सायलान को नुकसान व क्षति होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं।प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र से स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी ख्सरा नम्बर 227 रकवा 0.76 है. वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर में सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करे उक्त आराजी मे खडी फसल को नष्ट ना करे तथा खसरा नम्बर 227 वाके ग्राम रेला की जमीन को दवाकर इस पर किसी तरह का कच्चा पक्का निर्माण ना करे।रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एवं पत्रावली पर पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Rindel
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

जारी स्टे आदेश दिनांक 19.1.2022 को मूल वाद के फेसले तक प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 09.10.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार झिंगोनिया
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested